डिस्कलेमर

आदेश संख्या 08/2022-23 के परिशिष्ट का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एलआईएएल/लखनऊ/2020-21

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

दिनाक 16.06.2022 के आदेश संख्या 08/2022-23 का परिशिष्ट

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख: 29 मार्च, 2023

विषय : लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ में प्रदान की जाने वाली एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए 1.07.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने संबंधी दिनांक 16.06.2022 के आदेश संख्या 08/2022-23 के मामले में- मौजूदा टैरिफ (31.03.2023) को आगे 30.09.2023 तक जारी रखने की अंतरिम व्यवस्था।

1. सीसीएसआईए, लखनऊ में एलआईएएल द्वारा प्रदान की जा रही एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के संबंध में मौजूदा टैरिफ (31.03.2023 के अनुसार) की अंतरिम व्यवस्था की अवधि 01.04.2023 से 30.09.2023 तक छ: (06) माह आगे बढ़ाने के संबंध में है।

2. प्राधिकरण नोट करता है कि एलआईएएल के लिए लखनऊ हवाईअड्डे पर ईंधन स्टोरेज आईटीपी सेवाओं सहित वैमानिक सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में हितधारक परामर्श प्रक्रिया चल रही है और अंतिम टैरिफ आदेश जारी करने सहित टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ और समय लगेगा।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अंतरिम उपाय के रूप में प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि एलआईएएल को एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए मौजूदा टैरिफ (31.03.2023) अर्थात छ: (06) माह, 01.04.2023 से 30.09.2023 तक या तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किया जाने तक, जो भी पहले हो वसूल करने की अनुमति दी जाए।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल) को संलग्नक-I के अनुसार एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए मौजूदा टैरिफ (31.03.2023 को विद्यमान) तदर्थ आधार पर 01.04.2022 से 30.09.2023 तक या तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, लगाने और वसूल करने की अनुमित दी जाती है।

(ii) ऊपर बताए अनुसार निर्धारित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ है और अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ में सभी लागू सरकारी कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(iv) दिनांक 16.06.2023 के आदेश संख्या 08/2022-23 के अन्य निबंधन एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री मनोज चांदुका,
लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
प्रथम तल, टर्मिनल **I**, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
लखनऊ -226009 उत्तर प्रदेश, भारत

प्रतिलिपि,

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – **110 003** को सूचनार्थ।

(ii) मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, प्रथम तल, टर्मिनल **I**, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ -226009 उत्तर प्रदेश, भारत

लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ में प्रदान की जा रही एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए अनुमोदित तदर्थ टैरिफ दरें।

(01.04.2023 से 30.09.2023 तक की अवधि के लिए)

(राशि रूपए में प्रति कि.ली.)

ईंधन अवसंरचना प्रभार	**विमान में पुन: ईंधन भरना**	**विमान का ईंधन खाली करना**		**विमान का पदार्थ खाली करना और विमान में पुन: ईंधन भरना**	
		6 घंटे के भीतर	6 घंटे के बाद	6 घंटे के भीतर	6 घंटे के बाद
470	200	200	300	250	300

नोट: इसमें अनुमोदित प्रभार उच्चतम दरें हैं, इनमें सभी लागू सरकारी कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

<u>**संलग्नक – I**</u>

लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ में प्रदान की जाने वाली एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए अनुमोदित तदर्थ टैरिफ।

(01.07.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए लागू)

(राशि रूपए में प्रति कि.ली.)

ईंधन अवसंरचना प्रभार	**विमान में पुन: ईंधन भरना**	**विमान का ईंधन खाली करना**		**विमान का पदार्थ खाली करना और विमान में पुन: ईंधन भरना**	
		6 घंटे के भीतर	6 घंटे के बाद	6 घंटे के भीतर	6 घंटे के बाद
470	200	200	300	250	300

नोट: इसमें अनुमोदित दरें उच्चतम दरें हैं, इनमें सभी लागू सरकारी कर यदि कोई हो शामिल नहीं है।